[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 5/2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 19 जून, 2017

सा.का.नि. **(अ)** केन्द्रीय सरकार केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन व्यक्तियों को, जो केवल कराधेय माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने में लगे हैं, जिन पर कुल कर, ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिलोम प्रभार के आधार पर संदत्त किए जाने का दायी है, ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिन्हें पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट प्राप्त है ।

2. यह अधिसूचना 22 जून, 2017 को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 349/72/2017-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार